(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Indian industrialists laundering black money through B.C.C.I.

*212. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

SHRI A. G. KULKARNI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government have collected further evidence as regards involvement of Indian industrialists in laundering black money through BCCI, if so, what are the names of the industrialists and the amounts involved;

(b) whether any further information has been collected as regards loss to the Indian depositors due to closure of BCCI and involvement of Syndicate Bank or any other Bank in routing funds from abroad to the depositors in India; and

(c) whether any Indian Banks are involved of having lost their deposits or funds which were in the pipeline for recovery during the period the Bank closed down its operations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Reserve Bank of India (RBI) in terms of the powers vested with them under section 30(IB) of the Banking Regulation Act, 1949 have ordered a Special audit with a view to find out further information about the state of affaire in regard to the working of the BGCI, Bombay branch.

(b) and (c) Preliminary investigations show that the total value of assets of the Bombay branch of PiCCI (Overseas) Ltd. prima-facie is more than liabilities. Similarly initial investigation reveals that while Syndicate Bank owes certain amounts to BCCI group, BCCI group also in turn owes certain amounts to Syndicate Bank. These amounts offset each other.

As regards the likely loss of funds or deposits by other Indian banks, information is being collected.

समुद्री उत्पादों का उत्पादन तथा निर्यात

*213. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समुद्री उत्पाद के निर्यात का मूल्य और उसकी मात्रा कितनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि देश में इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात की पर्याप्त क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समुद्री उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ताकि मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथ (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात मात्रा तथा मूल्य के रूप में अलग-अलग वर्षवार नीचे दर्शाए गए हैं :

वर्ष	निर्यात मात्रा	
	लक्ष्य	उपलब्धि
	(मीट्रिक टन में)	
1985-86	86550	83657
1986-87	111700	85843
1987-88	117300	97179
1988-89	104500	99777
1989-90	158825	010843

निर्यात मूल्य	
लक्ष्य	उपलब्धि
(लाख रुपए में)	
402	398.00
428	460.67
470	531.20
580	597.85
850	634.94

(ग) जी हां, उत्पादन तथा निर्यात के लिए व्यापक स्रोत संभावना है।

(घ) सरकार ने समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने तथा मछुवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :

(i) तलप्लावी किस्मों की जो मछलियां बहुत कम पकड़ी गई हैं उन्हें पकड़ने के लिए अपतटीय तलप्लावी नौकाएं आरम्भ करना ;

(ii) शिल्पकारी तथा लघु मशीनीकृत क्षेत्र में ईंधन परिरक्षण पद्धतियों का आश्रय लेते हुए कार्यचालन की लागत को कम करने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(iii) छोटी मशीनीकृत नौकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की क्षतिपूर्ति की जाती है।

(iv) मछली पकड़ने संबंधी कार्यचालन को और सक्षम बनाने के लिए परम्परागत नौकाओं में मोटरें लगाई जा रही हैं और फिशिंग गियर में सुधार लाया जा रहा है।

(v) चार बड़े मत्स्यकी बन्दरगाह, 23 छोटे मत्स्य की बन्दरगाह और 96 मछली उतारने के केन्द्रों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इन बन्दरगाहों में 240 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों, 15000 मशीनीकृत नौकाओं तथा 30000 परम्परागत नौकाओं के ठहराने की क्षमता है।

(vi) इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय जल से उत्पादन बढ़ाने के लिए 65000 हेक्टेयर खारा पानी क्षेत्र को परम्परागत तथा गहन कल्चर पद्धतियों के अन्तर्गत लाया गया है।

(vii) मछुवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) समुद्री उत्पादों से होने वाली निर्यात आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है :—

(i) मछली पकड़ने के कार्य का विकास ;

(ii) मछलीपालन के अन्तर्गत और क्षेत्र लाना;

(iii) श्रिम्प फार्मों से प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ाना।

(iv) निर्यात योग्य अन्य मदों के कल्चर उत्पादन का विकास करना;

(v) नई प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन आरम्भ करना ;

(vi) प्रोसेसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी में सुधार लाना तथा अपशिष्ट में कमी लाना।

पंजाब में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कदम

*214. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्टेप्स टू रिक्लेम पंजाब वेस्टलेंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है अनेक कारणों से पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में कृषि भूमि परती पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। समाचार में उल्लिखित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1986-87 में 40,000 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र, अकृषित रहा, वर्ष 1987-88 में ऐसी भूमि 39,000 हैक्टेयर और वर्ष 1988-89 में 32,000 हैक्टेयर थी।

(घ) और (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में मृत्यु दंड के विरोध में लंबित मामले

*215. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मृत्यु-दंड के विरोध में कितने मामले लंबित थे;

(ख) वर्ष 1990 और 31 अगस्त, 1991 तक कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई; और

(ग) क्या सरकार "मृत्यु दंड" को समाप्त करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) 31 अगस्त, 1991 को मृत्यु-दंड के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 8 थी।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1990 में और 31 अगस्त, 1991 तक 3 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।